प्रतिबन्धात्मक आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

थाना बाजपुर क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में छात्र संघ चुनाव की प्रकिय हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा दिनांक 03.11.2023 को नामांकन एवं दिनांक 07.11.2023 को मतदान होन है, नामांकन/मतदान के दौरान विश्वस्त स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया कि इस बात की प्रबल सम्भावना है कि आसामजिक एवं अवांछनीय तत्व छात्र संघ चुनाव के दौरान साम्प्रदायिकता, जातीयता, राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता तथा धार्मिक एवं भाषीय आधार पर समुदाय के बीच वैमनश बढाने/फैलाने का प्रयास कर दें अथवा अन्य समाज विरोधी एवं अवांछनीय कार्य कर दें जिससे गम्भीर शांति भंग तथा विधि एवं व्यवस्था भंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

उपरोक्त स्थितियों एवं सूचनाओं पर परीक्षणोपरान्त तथा सम्यक विचारोपरान्त मेरा समाधान हो गया कि विधि एवं व्यवस्था तथा शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

स्थिति की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण विपक्षी व सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये, निम्नवत एकपक्षीय आदेश निर्गत करता हूँ।

मैं राकेश चन्द्र तिवारी, परगना मजिस्ट्रेट, बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर थाना बाजपुर दण्ड प्रकिर संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्याल बाजपुर सीमान्तर्गत हेतु निम्न आदेश देता हूँ–

01– उक्त थाना बाजपुर क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर के 100 मीटर की सीमान्तर्ग पाँच या उससे अधिक व्यक्ति शान्ति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र नहीं होंगे और ना ही कोई व्यक्ति ऐ कृत्य करेगा अथवा करायेगा। यह आदेश पुलिस कर्मचारी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

02– उक्त थाना बाजपुर क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर की सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र लाठी, डण्डा, तलवार या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा किसी दूसरे व्यक्ति पर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। किन्तु यह प्रतिबन्ध सुरक्षा कर्मियों पर ला नहीं होगा जो अपना प्रतिनिधित्व कर्तव्य के लिये उक्त हथियार अपने पास रखते हो तथा उसको रखने के लि प्राधिकृत है। यह प्रतिबन्ध सिक्ख धर्म के अनुयायी उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो धार्मिक आधार कृपाण धारण करते हो।

03– उक्त थाना बाजपुर क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर की सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति बिना अनुमति के बैठक या ध्वनिविस्तारण यन्त्र/उपकरणों का प्रयोग ना तो करेगा और ना ही करवाये और ना ही ऐसा कृत्य करेगा।

04– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति महाविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

05– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर द्वारा तैयार की गयी मतदाता सूची के अतिरिक्त कोई भी अ व्यक्ति निर्वाचन प्रकिया में प्रतिभाग नहीं करेगा।

06– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में कोई भी अभ्यर्थी अथवा व्यक्ति धर्म, जाति व सम्प्रदाय नाम पर वोट नहीं मांगेगा।

07– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर कोई भी दल अथवा व्यक्ति मतदाताओं को रिश्वत दे अभित्रस्त करने, मतदाताओं का प्रतिरूपण करने मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना का मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली अवधि में सार्वजनिक सभायें करने और मतदाता को सवारी से मतदान स्थल तक लाने व वापस ले जाने का कार्य नहीं करेगा।

08– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में कोई भी निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा।

09– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में कोई भी अभ्यर्थी एवं उसके समर्थक महाविद्यालय परिसर सम्पत्ति एवं अन्य लोक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा तथा उसका विरूपण नहीं करेगा।

10– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रशासन बाजपुर की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा या रैली का आयोजन महाविद्यालय परिसर में नहीं किया जायेगा।

11– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर के चुनाव प्रसार के लिए लाउडस्पीकर, वाहनों तथा जानवरों प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

12– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में मतदान के दिन प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की खाद्य सामग्री तथा पेय पदार्थ का वितरण वर्जित होगा।

13– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में मतदान केन्द्रों के अन्दर बिना वैध अनुमति के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा।

14– यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 03.11.2023 से 07.11.2023 छात्र संघ चुनाव प्रकिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा यदि इससे पूर्व वापस न लिया जावे।

15–इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होंगे।

16–यह आदेश आज दिनांक 03.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

दिनांक :–03–11–2023

(राकेश चन्द तिवारी)
परगना मजिस्ट्रेट, बाजपुर।

कार्यालय परगना मजिस्ट्रेट, बाजपुर जिला उधमसिंहनगर

पत्र संख्या 2663 ज्ञाप/एस0टी0/2023 दिनांक 03–11–2023

आदेश की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उधमसिंहनगर।

02–जिला मजिस्ट्रेट महोदय उधमसिंहनगर।

03–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधमसिंहनगर।

04–प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर को इस आशय से कि वह कालेज के नोटिस बोर्ड व कालेज के मुख्य गेट पर आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ चस्पा कराये।

04–पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर।

05–तहसीलदार बाजपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

06–प्रभारी निरीक्षक, बाजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस आदेश का व्यापक प्रचार लाउडस्पीकर/समाचार पत्रों एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन करवाना सुनिश्चित करे, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुये विधिक कार्यवाही करे।

07–कार्यालय प्रति।

03/11/23
परगना मजिस्ट्रेट, बाजपुर।

मु. चुनाव अधिकारी
03/11/2023